प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री राम कुमार यादव निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6069/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26.02.2020) दिनांक 27.02.2020 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री राम कुमार यादव, जो- पवार खेडा, मजरा तकिया निगोही, थाना-फतेहपुर, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 25.07.2005 को पैसों के सम्बन्ध में हुए विवाद में अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-441/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-6), उन्नाव के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2016 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2019 तक 14 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकार, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक द्वारा बन्दी का कारित अपराध समाज एवं व्यक्ति विशेष दोनों को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी को मुक्ति करने की दशा में पुन: अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी एवं विपक्षीगणों की जान एवं माल की सुरक्षा हेतु जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 25.07.2005 को पैसों के सम्बन्ध में हुए विवाद में अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजेश नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 40 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज एवं व्यक्ति विषेष दोनों को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री राम कुमार यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रि0) सं0ख्या-280/2019 सुभान उर्फ कालू बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुभान उर्फ कालू (बन्दी संख्या-26670) पुत्र श्री राम कुमार यादव निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

विशेष सचिव।

संख्या-131/2020/357(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-131/2020/357/22-2-2020-17(750)/2019

दिनांक 30 मार्च, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री राम कुमार यादव, जो- पवार खेडा, मजरा तकिया निगोही, थाना-फतेहपुर, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 25.07.2005 को पैसों के सम्बन्ध में हुए विवाद में अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-441/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-6), उन्नाव के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2016 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.07.2019 तक 14 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकार, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक द्वारा बन्दी का कारित अपराध समाज एवं व्यक्ति विशेष दोनों को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी को मुक्ति करने की दशा में पुन: अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी एवं विपक्षीगणों की जान एवं माल की सुरक्षा हेतु जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 25.07.2005 को पैसों के सम्बन्ध में हुए विवाद में अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर राजेश नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु लगभग 40 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज एवं व्यक्ति विषेष दोनों को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री राम कुमार यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in